

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) कक्ष सं०-1, कन्नौज।

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या-01/2023

(CNR No-UPKJ01-006551-2023)

बृजेश कुमार मिश्रा बनाम धीरेन्द्र

मुकदमा अपराध संख्या-291/2018

धारा-138 (1)a भारतीय विद्युत अधिनियम

थाना-कन्नौज, जनपद कन्नौज।

दिनांक-14.03.2026

पत्रावली पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या पर वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान के आधार पर वाद पत्रावली आज दिनांक 14.03.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में आदेशार्थ पेश हुई।

उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत पुलिस अंतिम रिपोर्ट में वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गई। वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया, जो पत्रावली में शामिल है। उक्त बयान में यह कहा गया है कि मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, किन्तु मुकदमे के अभियुक्त की जानकारी अभी तक मुझे नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वादी मुकदमा की उक्त रिपोर्ट की पुष्टि इस न्यायालय में कार्यरत विशेष लोक अभियोजन विद्युत अधिनियम द्वारा की गई है। वादी मुकदमा की अनापत्ति व केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों के परिशीलन के पश्चात प्रस्तुत **पुलिस अन्तिम रिपोर्ट संख्या 136/2018 दिनांकित 03.06.2018** स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत किये गए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में **पुलिस अन्तिम रिपोर्ट संख्या 136/2018 दिनांकित 03.06.2018** स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(विद्युत अधिनियम) कक्ष सं०-1, कन्नौज।

J.O.CODE-UP6489